दि0 21.02.2017 को वाणिज्य कर की वीडियों कान्फ्रेंसिंग से की गयी राजस्व समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दि0 21.02.2017 को **अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0** द्वारा समस्त जोन के एडीशनल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा) व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/कारपो0 सर्किल/वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के साथ की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अनुपालनार्थ दिये गये निर्देश निम्नवत् है–

1. ई–संचरण के फार्मो के उपयोग तथा उसमें आच्छादित धनराशि की गत वर्ष से की गयी तुलनात्मक समीक्षा में स्पष्ट है कि कतिपय सम्भागों में फार्मो की उपयोग की संख्या में तो वृद्धि हुयी है परन्तु आच्छादित धनराशि घटी है और आयातित माल की बिक्री पर नियमानुसार देय कर भी विभाग में जमा नहीं हो रहा है। इसकी खण्डवार समीक्षा हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या–3289 दिनांक 20.01.2017 द्वारा निर्देश दिये गये थे, परन्तु इस बिन्दु पर वी0सी0 में अधिकांश अधिकारियों द्वारा यथोचित उत्तर नहीं देने पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) लखनऊ सम्भाग–बी व सी, गाजियाबाद सम्भाग–सी व बुलन्दशहर कानपुर सम्भाग–बी व डी, इलाहाबाद सम्भाग–ए/बी, सम्भाग मिर्जापुर, इटावा व मैनपुरी, मुरादाबाद सम्भाग–ए तथा सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि दो दिनों में समीक्षा करके संक्षिप्त टिप्पणी मुख्यालय को प्रेषित करायें तथा सभी जोन उपरोक्त संदर्भित पत्र दि0 20–01–2017 के साथ संलग्न समीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में माह फरवरी, 2017 तक कृत कार्यवाही का विवरण मार्च के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिस खण्ड में उक्त बिन्दुओं के कार्यो पर शिथिलता पायी गयी है, उन अधिकारियों का नाम प्रेषित किया जाये अन्यथा जोन/सम्भाग की प्रगति असंतोषजनक पाये जाने पर सम्बन्धित जोनल व सम्भागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय दायित्व को असंतोषजनक मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. 90 दिन से अधिक पुराने एफ0आर0एन0 जोन गाजियाबाद प्रथम/द्वितीय, बरेली व झाँसी में अधिक लम्बित हैं। सभी जोन इस माह तक 90 दिन से अधिक लम्बित एफ0आर0एन0 खण्ड कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दे। किसी भी दशा में 90 दिन से अधिक एफ0आर0एन0 लम्बित न रहें।
3. विगत बैठकों में निर्देश दिये जाने के बावजूद भी फॉर्म–38 का मैनुअल प्रयोग करने वाले व्यापारियों की वि0अनु0शा0 व सघन जांच नहीं की जा रही है। पूर्व में लिये फॉर्म–38 के उपयोग पर देय कर की जमा सुनिश्चित किये बिना पुनः फॉर्म–38 व्यापारियों को दिये जा रहे हैं। यह स्थिति असंतोषजनक है। मैनुअल प्रयोग करने वाले व्यापारियों का नियमित रिटर्न दाखिला सुनिश्चित करते हुए ऐसे सभी व्यापारियों की वि0अनु0शा0 जांच करायी जाये।
4. ई–संचरण का प्रयोग करने वाले सभी व्यापारियों से ई–रिटर्न के माध्यम से रिटर्न दाखिला सुनिश्चित कराया जाये जिसमें यह सुनिश्चित किया जाये कि ई–संचरण के द्वारा आयातित माल का उल्लेख किया है कि नहीं।

(कार्य0 एडी0कमि0/ ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)ज्वा0कमि0 (कार्य0/कार्पो0/वि0अनु0शा0) अनु0 ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0) मु0)

5. जिन जनपदों में निर्वाचन होना शेष है वे जनपद अपने जिलाधिकारी महोदय से सचल दल के वाहन निर्वाचन कार्य में संबद्ध न करने का अनुरोध करें और उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश से भी अवगत करा दें कि सचल दल विभागीय जांच के साथ–साथ निर्वाचन से संबंधित वस्तुओं की भी जांच करते हैं। इसलिए सचल दल कार्य अनवरत करने के लिए उनके वाहन संबद्ध न किये जाये। फिर भी यदि वाहन संबद्ध हो जाते हैं तो कमिश्नर महोदय से अनुमति लेकर प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से रोड चेकिंग की जाये।
6. प्रत्येक सचल दल इकाई द्वारा माह में किये गये कार्यों में से कम से कम 02 या 03 उल्लेखनीय मामले जोनवार संकलित करते हुए मुख्यालय के सचल दल अनुभाग को आगामी माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जाये ताकि प्रदेश में हो रहे करापवंचन की प्रकृति की समेकित रूप से समीक्षा की जा सके।
7. बिल संग्रहण के संदर्भ में बड़े जोन तथा छोटे जोन को क्रमशः 50 तथा 25 बिल प्रति यूनिट प्रति कार्यदिवस का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन किसी भी जोन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बिल कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। माह फरवरी, 2017 के शेष दिनों तथा आगामी माह में अधिक से अधिक बिल कलेक्शन कराया जाये।

(कार्य0 एडी0कमि0/ ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) अनु0 ज्वा0कमि0(सचल दल) मु0)

8. जिन व्यापारियों के तीन लगातार देय रिटर्न मासिक/त्रैमासिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनको खण्डवार चिन्हित करते हुये उनके व्यापार स्थल का परीक्षण कराकर विभाग में बने रहने या उनके टिन निरस्तीकरण पर तत्काल निर्णय लिया जाये।
9. माह दिसम्बर, 2016 देय माह जनवरी, 2017 में दाखिल न होने वाले रिटर्न का प्रतिशत जोन लखनऊ द्वितीय, वाराणसी प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद, इटावा, फैजाबाद व गोरखपुर में अधिक है। रिटर्न का दाखिला शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाये। रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों की जांच करते हुए उनके टिन निरस्तीकरण पर त्वरित कार्यवाही की जाये।

(कार्य0 एडी0कमि0 व ज्वा0कमि0 (कार्य0/कार्पो0) अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण) मु0)

10. जी0एस0टी0एन0 माइग्रेशन का कार्य अभी भी 27 प्रतिशत व्यापारियों का अवशेष है। निर्देशित किया गया कि पूर्व की भांति प्रचार–प्रसार करके तथा कैम्प आयोजित करके दिनांक 15.03.2017 तक शत प्रतिशत व्यापारियों का जी0एस0टी0एन0 में माइग्रेशन कराया जाये क्योंकि इसके पश्चात जी0एस0टी0एन0 पोर्टल में माइग्रेशन का कार्य

बन्द हो जायेगा, इसलिए इसके पश्चात माइग्रेट न किये गये व्यापारियों का टिन निरस्त हो जायेगा। प्रचार–प्रसार में व्यापारियों को यह भी अवगत कराया जाये कि जो व्यापारी सरकारी आपूर्ति कर रहें हैं, अन्य प्रान्तों को माल भेज रहे हैं या वहॉ से माल मंगा रहें हैं ऐसे व्यापारियों को जी0एस0टी0एन0 में माइग्रेट होना आवश्यक है और जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम है उनके लिए भी जी0एस0टी0एन0 में माइग्रेट होना विधिक बाध्यता है। माइग्रेट होने के बाद उन्हें जी0एस0टी0एन0 में ऐसे व्यापारी के आने या नहीं आने पर निर्णय के लिए उन्हें 6 माह का अवसर उपलब्ध है।

11. प्रदेश में नये पंजीयन के सर्वे कुल 41682 लम्बित है। जोन लखनऊ द्वितीय, वाराणसी द्वितीय, इटावा, मुरादाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी व अलीगढ़ में लम्बित सर्वे की संख्या सर्वाधिक है, यह स्थिति असंतोषजनक है। जबकि पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि नये पंजीयन के सर्वे कार्य 15 दिन के अंदर करा लिया जाये। अतः सभी जोन अभियान चलाकर सर्वे कार्य को पूर्ण कराया जाये। बोगस फर्मों के द्वारा किये जा रहे करापवंचन के लिए भी त्वरित गति से सर्वे किया जाना आवश्यक है।

(कार्य0 एडी0कमि0 व ज्वा0कमि0 (कार्य0/कार्पो0) अनु0 ज्वा0कमि0(आई0टी0) मु0)

12. प्रदेश के कुल 16885 भट्ठों में से 6122 भट्ठे अभी भी समाधान योजना से बाहर है जिसमें जोन गाजियाबाद प्रथम/द्वितीय, वाराणसी द्वितीय, इलाहाबाद, इटावा, सहारनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद व गोरखपुर में समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठों का प्रतिशत अधिक है। अधिक से अधिक संख्या में भट्ठों को निर्धारित अवधि में समाधान में सम्मिलित किया जाये और उनसे देय राशि जमा करायी जाये। जो भट्ठे समाधान से बाहर रहते हैं उनका सर्वे तथा स्टॉक की वीडियोग्राफी कराकर पत्रावली में अभिलेखित करते हुए तद्नुसार कर निर्धारण कर देय कर जमा कराया जाये।

13. प्रदेश में अभी भी 72683 कालवाधित कर निर्धारण वाद लम्बित है। इनमें सबसे अधिक संख्या गोरखपुर, वाराणसी द्वितीय, लखनऊ द्वितीय, अलीगढ़, मेरठ व सहारनपुर में हैं। समस्त जोन निर्धारित अवधि में समस्त कालवाधित वादों को निस्तारित कराना सुनिश्चित करायें। जिस अधिकारी के लॉगइन में निर्धारित अवधि के बाद कालवाधित वाद लम्बित रह जाते हैं तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्य0 एडी0कमि0 व ज्वा0कमि0 (कार्य0/कार्पो0सर्किल0) अनु0 ज्वा0कमि0 (विधि) मु0)

14. सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/उपक्रम विभागों को वित्तीय वर्ष के अंत तक आवंटित बजट का उपयोग करना होता है। शुद्ध वसूली योग्य बकाया में जो बकाया उक्त विभागों से संबंधित है उस विभाग के आहरण वितरण अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क करके इसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का प्रयास किया जाये।

(कार्य0 ज्वा0कमि0 (कार्य0/कार्पो0सर्किल) अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह) मु0)

उक्त कार्यवृत्त के सभी निर्देशों की अनुपालन आख्या दि0 10–03–2017 तक ई–मेल से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने व फरवरी, 2017 के अवशेष दिनों में हर संभव प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा के साथ सधन्यवाद वी0सी0 समाप्त की गयी।

23/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याःएस0एस0–मासिक बैठक–वी0सी0/2016–17/ 1157 /वाणिज्य कर
कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊःदिनांकः 23 फरवरी, 2017

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ।
2. एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 एवं एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन/लेखा/विधि/जी0एस0टी0) उ0प्र0।
3. समस्त ज़ोनल एडी0कमि0 व ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 एवं ज्वा0कमि0 (कार्य0/वि0अनु0शा0/कार्पो0 सर्किल) वाणिज्य कर उ0प्र0।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर व अनुभाग प्रभारी/वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय।

23.2.17

ज्वाइंट डायेरक्टर (संख्या), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।